



प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप, पिकप भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 जून, 2024

विषय- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0लि0, नोएडा एवं मे0 एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा को शासनादेश दिनांक 12.05.2016 एवं 14.12.2020 के क्रम में मेगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केस-टू-केस बेसिस पर उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-55/2023/3451/77-6-2023-05(एम)/13टीसी(मेगा-1), दिनांक 01.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0लि0, नोएडा एवं मेसर्स एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा को वैट रिजीम में निर्गत एल0ओ0सी0 में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाओं को जी0एस0टी0 रिजीम से एलाईन करते हुए वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि की गणना हेतु फार्मूला निर्धारित किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 11.03.2024 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 01.11.2023 को निम्नवत संशोधित करते हुए निर्गत किया जा रहा है-

1. शासनादेश संख्या-510/77-6-16-5(एम)/13टी0सी0(मेगा) दिनांक 12.05.2016 एवं शासनादेश संख्या-3955/77-6-2020-6(एम)/2018 दिनांक 14.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पैन इण्डिया मेगा परियोजनाओं (मे0 सैमसंग इण्डिया एवं मे0 एल0जी0 इण्डिया) को केस-टू-केस आधार पर दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 12.05.2016 में अनुमन्य सुविधाओं को अवक्रमित करने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा०लि० वर्ष 2018 में एवं मैसर्स एल०जी० इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा०लि० वर्ष 2020 में आवश्यक इन्वेस्टमेंट पूर्ण करने के उपरान्त वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हुए हैं। उपरोक्त दोनों कम्पनियों को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत लैटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए गए हैं। लैटर आफ कम्फर्ट निर्गत करने की तिथि में वैट का कानून लागू था और जब ये कम्पनियां अपना एलिजिबल इन्वेस्टमेंट पूरा करने के बाद वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अर्ह हुई तब जी०एस०टी० का कानून लागू हो गया।
3. एल०ओ०सी० निर्गत होने एवं वित्तीय प्रोत्साहन की अर्हता की तिथि में वैट से जी०एस०टी० में टैक्स रेजिम के परिवर्तन के उपरान्त उपरोक्त दोनों कम्पनियों को राज्य सरकार द्वारा एल०ओ०सी० के माध्यम से दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन के कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जाए इस सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था अभी तक न बनाए जाने की वजह से उपरोक्त दोनों कम्पनियों को इनकी अर्हता के कई वर्ष के उपरान्त भी कोई वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।
4. नोडल एजेन्सी पिकप द्वारा मे० सैमसंग इण्डिया द्वारा किये गये Eligible Capital Investment की धनराशि ₹ 2,738.51 करोड़ एवं एल.जी. इण्डिया लि० द्वारा किये गये Eligible Capital Investment की धनराशि ₹ 567.00 करोड़ सत्यापित की गयी है।
5. मे० सैमसंग तथा मे० एल०जी० अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ हैं, जिनका अधिकांश माल प्रदेश/देश के बाहर बेचा जाता है तथा प्रदेश के अंदर तैयार माल के विक्रय की तुलना में ज्यादा माल प्रदेश के अन्दर से खरीदा जाता है। तथापि इन कम्पनियों के संचालन से प्रदेश में बड़े पैमाने पर Direct/Indirect Employment Generate हो रहा है। साथ ही दूसरी आपूर्तिकर्ता कम्पनियों के द्वारा जो माल इन कम्पनियों के माल उत्पादन हेतु विक्रय हो रहा है, उससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, बल्कि ऐसे क्रय माल पर टैक्स भी राज्य सरकार को मिल रहा है, जो ITC के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ये क्रय इन पैन इंडिया कम्पनियों के निवेश होने की वजह से ही हो रहा है। अतः इसे अलग प्रकार से देखे जाने की आवश्यकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये कम्पनियाँ प्रदेश में जारी औद्योगिक निवेश नीति-2012 के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करने के आकर्षण से स्थापित हुई हैं। इसलिए राज्य सरकार को इन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल बना रहे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मे0 सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0, नोएडा एवं मे0 एल0जी0 इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0, ग्रेटर नोएडा को वैट रिजीम में निर्गत एल0ओ0सी0 में प्रस्तावित वित्तीय सुविधाओं को जी0एस0टी0 रिजीम से एलाइन करते हुए देय वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि की गणना हेतु श्री राज्यपाल एतदद्वारा निम्नवत फॉर्मूले पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) फॉर्मूला निम्नवत बॉक्स में अंकित है-

वित्तीय प्रोत्साहन = एस0जी0एस0टी लायबिलिटी

(क)

- प्रोराटा एस0जी0एस0टी0 आईटीसी

(ख)

- अवशेष आईजीएसटी का आईटीसी

(ग)

नोट:

1. प्रोराटा SSGT ITC की व्यवस्था मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर शासनादेश दिनांक 12.05.2016 एवं 14.12.2020 द्वारा निर्धारित की गई थी।
2. अवशेष IGST ITC का तात्पर्य संगत कानून के अंतर्गत IGST ITC की कुल धनराशि से है जो IGST की लायबिलिटी सेट आफ करने के बाद तथा CGST की भी लायबिलिटी सेट आफ करने के बाद शेष बचती है। इस प्रकार आगणित राशि पर इन्वेस्टमेंट रेशियो क्वाटर्ली आधार पर अप्लाई किया जाएगा।
3. प्रोत्साहन की गणना मासिक आधार पर होगी।
4. प्रोत्साहन का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
5. कम्पनी को पहले अपनी एस0जी0एस0टी0 लायबिलिटी उपलब्ध ITC से सेट आफ करनी होगी। उसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन हेतु नगद भुगतान की बाध्यता नहीं होगी।
6. कम्पनी को एक वर्ष में दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन की राशि अधिकतम Eligible Capital Investment (ECI) के सैमसंग के मामले में रु0 2738.51 करोड़ का 1/15 एवं एल.जी. के मामले में रु0 563.00 करोड़ का 1/10 से अधिक नहीं होगा।
7. चूँकि दोनों कम्पनियों को अभी तक प्रोत्साहन का भुगतान नहीं हुआ है इसलिए अब तक की देयता पर पिछले प्रत्येक वर्ष की सीमा के अतिरिक्त पूरे अवशेष भुगतान पर कोई सीमा नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (ii) मैसर्स सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि० को भुगतान की जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि रू० 1,751 करोड़ से अधिक नहीं होगी।
- (iii) मै. एल.जी. के कुल प्रोत्साहन धनराशि को मे. सैमसंग के लिए अधिकतम प्रोत्साहन धनराशि रू० 1,751 करोड़ के उसके ECI के अनुपात के अनुसार ही अधिकतम सीमा होगी।
- (iv) मैसर्स सैमसंग व मैसर्स एल.जी. की प्रतिपूर्ति का मामला अन्य कम्पनियों से बिल्कुल भिन्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए मा० मंत्रिपरिषद् द्वारा वर्ष 2016 एवं 2020 में प्रो-राटा वैट/जी०एस०टी०, आई०टी०सी० घटाने की व्यवस्था की गयी थी।

इन दो कम्पनियों की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मा० मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 में यह निर्णय लिया गया कि इन कम्पनियों को वित्तीय प्रतिपूर्ति न करके वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना उचित होगा। इसके लिए जी०एस०टी० रिजिम के एस०जी०एस०टी०, आई०जी०एस०टी० एवं सी०जी०एस०टी० को आई०टी०सी० की गणना हेतु मात्र संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जायेगा, ताकि इन कम्पनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सके।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या- 22/2024/1406/77-6-2024-05(एम)/13टीसी(मेगा-1), तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/राज्य कर/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन/ एम०एस०एम०ई०/नियोजन/औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार मौर्य

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।